न्यायालय अपर जनपद न्यायाधीश/एफ०टी०सी० ,कोर्ट नं०२, मैनपुरी ।

सिविल अपील संख्या २२ सन २०१२

जगदीश आदि बनाम ओमकार आदि

दिनांक १३–०५–२०२२

पत्रावली पेश हुयी । पुकार पर रेस्पोंडेन्ट के विद्वान अधिवक्ता श्री गंगाराम यादव उपस्थित आये । रेस्पोंडेन्ट के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि पत्रावली में माननीय उच्च न्यायालय का कोई स्टे आदेश नही है । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा केवल आदेश दिनांकित १५–०५–२०१३ के क्रियान्वयन को लिस्टिंग की अग्रिम तिथि तक के लिये रोका गया था । पत्रावली की कार्यवाही को स्थगित नही किया गया था । माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था एशियन री सर्फेसिंग के अनुक्रम में पत्रावली में बहस सुन ली जाये । बार –बार पुकार पर अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नही है और न ही कोई स्थगन प्रार्थना पत्र दिया गया । दिनांक २१–०४–२०२२ व १०–०५–२०२२ को अपीलार्थी को माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन के सम्बन्ध में अद्यतन आदेश को प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था ,किन्तु आज तक न तो स्थगन के सम्बन्ध में कोई अद्यतन आदेश दाखिल किया गया और न ही अपीलार्थी स्वयं उपस्थित आये । **पत्रावली माननीय उच्च न्यायालय के एक्शन प्लान के अन्तर्गत निस्तारित की जानी है** ।

माननीय उच्च न्यायालय,इलाहाबाद द्वारा रिट संख्या ३१२७२/२०१३ में पारित अपने आदेश दिनांकित २९–०५–२०१३ द्वारा इस सिविल अपील में पारित आदेश दिनांकित १५–०५–२०१३ के क्रियावयन को लिस्टिंग की अग्रिम तिथि तक के लिये स्थगित कर दिया गया । आदेश दिनांकित २९–०५–२०१३ की यथार्थ प्रति कागज संख्या ४६ग/३ संलग्न है। माननीय उच्च न्यायालय के उक्त स्थगन आदेश के उपरान्त किसी भी पक्षकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय ,इलाहाबाद का कोई भी अद्यतन आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया है ,जब कि विगत लगभग ०९ वर्षो से इस अपील मे कोई अग्रिम कार्यवाही नही हो पा रही है ।

माननीय उच्चतम न्यायालय नें अपने निर्णय Criminal AppeaL No. 1375–1376 of 2013 ASIAN RESURFACING OF ROAD AGENCY PVT. LIMITED & ANR. VS. CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION dated, March 28,2018 में निम्न आदेश पारित किया गया है।

" In cases where stay in granted in future, the same will and on expiry of six month from the date of such order unless similar extension is granted by a speaking order. The speaking order must show that the case was of such exceptional nature that continuing the stay was more important than having the trial finalized. The trial Court where order of stay of civil or criminal proceedings is produced, may fix a date not beyond six month of the order of stay show that on expiry of period of stay, proceedings can commence unless order of extension of stage produced. "

पर्याप्त अवसर देने के बाद भी अपीलार्थी द्वारा इस सिविल अपील में माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश की अद्यतन स्थिति से अवगत नहीं कराया गया है ,जब कि रेस्पोंडेन्ट के विद्वान अधिवक्ता श्री गंगाराम यादव द्वारा कहा गया कि प्रकरण में कोईस्टे नही है। ऐसी स्थिति में माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त दिशा निर्देश के अनुक्रम में प्रस्तुत

सिविल अपील की कार्यवाही प्रचलित की जाती है । पत्रावली वास्ते बहस दिनांक १६–०५–२०२२ को पेश हो ।

(तरन्नुम खांन)
अपर जनपद न्यायाधीश/एफ०टी०सी०,
कोर्ट नं०२, मैनपुरी ।